कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/साप्र/बी—2/विविध/4418/68/ दिनांकः 06.05.2020

—:: आदेश ::—

इस कार्यालय के लॉक डाउन विषयक समसंख्यक आदेश दिनांकः 22.03.2020 द्वारा शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, विद्यालयों और संस्थानों को पूर्णतः बंद (लॉक डाउन) रखते हुए कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थित रहकर घर से कार्य करने (वर्क फ्रॉम होम) की स्थिति में रखा गया था। तदुपरांत लॉक डाउन अवधि में कुछ कार्मिकों के लॉक डाउन लागू होने से पूर्व से ही अवकाश, राजकीय यात्रा अथवा रविवारीय अवकाश के कारण एवं कुछ कार्मिकों द्वारा लॉक डाउन अवधि के दौरान विभिन्न परिस्थितिवश एवं कुछ अन्य कार्मिकों द्वारा मुख्यालय पर रहने के आदेशों की अवहेलना कर बिना अनुमति मुख्यालय से अन्यत्र प्रस्थान की स्थितियां संज्ञान में आई।

इस स्थिति में इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60304/2020 दिनांकः 12.04.2020 के द्वारा लॉक डाउन की परिस्थिति को देखते हुए कार्मिकों को लंबी यात्रा न करने हेतु निर्देशित करते हुए जिला प्रशासन से केवल मुख्यालय पर उपलब्ध शिक्षकों में से ही कोविड—19 संबंधी ड्यूटी लगाये जाने की अपेक्षा की गई थी एवं शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ड्यूटी लगाए जाने हेतु कार्मिकों की वास्तविक अवस्थिति की सूचना ली गई थी।

लॉक डाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर गए कार्मिकों के वेतन आहरण एवं कोविड—19 से संबंधित नवीन परिप्रेक्ष्य में ड्यूटी बाबत् विभिन्न स्तरों से वांछित मार्गदर्शन के संबंध में एतद् द्वारा निर्देश जारी किये जाते हैः—

1. **स्वीकृत अथवा आवेदित अवकाश/पूर्वानुमति से मुख्यालय परित्यागः—**
   जिन कार्मिकों ने नियंत्रण अधिकारी की पूर्वानुमति से अवकाश अथवा मुख्यालय अवकाश लेकर लॉक डाउन लागू होने से पूर्व मुख्यालय परित्याग किया था एवं लॉक डाउन प्रभावी होने के कारण मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हो सके या लॉक डाउन अवधि के दौरान अवकाश हेतु आवेदन किया, उन्हें आवेदित अवकाश अवधि पूर्ण होने तक के लिए नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जावे एवं शेष लॉक डाउन अवधि का वेतन आहरित किया जावे।
2. **बिना पूर्वानुमति मुख्यालय परित्यागः—**
   आदेश दिनांक 22.03.2020 के निर्देशों के विपरीत परिस्थितिवश बिना पूर्वानुमति मुख्यालय छोड़ने वाले कार्मिकों को सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा भविष्य में बिना पूर्वानुमति मुख्यालय न छोड़ने के लिए पाबन्द करते हुए लॉक डाउन अवधि का वेतन आहरित किया जावे, परन्तु नियन्त्रण अधिकारी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आदेश दिनांक 12.04.2020 के बाद बिना युक्तियुक्त कारण एवं पूर्वानुमति के मुख्यालय छोड़कर जाने वाले कार्मिकों के विरूद्ध सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निदेशालय को सूचना भिजवाई जावे।
3. **मुख्यालय पर उपस्थित रहकर कोविड—19 ड्यूटी में लगे हुए कार्मिकः—**
   लॉक डाउन के दौरान मुख्यालय पर उपस्थित रहकर जो कार्मिक लॉक डाउन अवधि में कोविड—19 से संबंधित ड्यूटी दे रहे हैं, संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उन्हें 16 मई, 2020 के पश्चात् ड्यूटी हेतु अन्य विकल्प उपलब्ध होने की स्थिति में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर ड्यूटी से राहत दिलावें।
4. **मुख्यालय से बाहर गये कार्मिकों की मुख्यालय वापसी एवं कोविड—19 ड्यूटीः—**
   बिन्दु संख्या 1 व 2 में वर्णित लॉक डाउन के दौरान मुख्यालय से बाहर रहे समस्त कार्मिक/शिक्षक 15 मई, 2020 तक मुख्यालय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। ग्रीष्मावकाश के दौरान मुख्यालय पर उपस्थिति की एवज में इन्हें उपार्जित अवकाश देय नहीं होंगे। संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बिन्दु संख्या—3 के अन्तर्गत कोविड—19 ड्यूटी से मुक्त किये गये कार्मिकों को छोड़कर मुख्यालय पर उपस्थित शेष समस्त कार्मिकों की सूची तैयार कर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को 16 मई, 2020 के पश्चात् ड्यूटी लगाये जाने हेतु तत्काल उपलब्ध करावें। 15 मई, 2020 तक मुख्यालय पर नहीं पहुंचने

www.rajteachers.com

वाले कार्मिकों की सूची संभागीय संयुक्त निदेशक स्तर पर समेकित कर 20 मई, 2020 तक निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. **पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) की मुख्यालय पर उपस्थितिः–**
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्रांकः 4307 जयपुर, दिनांकः03.04.2020 के द्वारा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को संबंधित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप का अध्यक्ष नामित किया गया है, अतः समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) अपनी ग्राम पंचायत में उपस्थित रहकर आदेशों की पालना करेंगे।

6. **मिड–डे–मील प्रभारः–**
बिन्दु संख्या–3 के अनुसार यदि पोषाहार प्रभारी को 16 मई, 2020 के पश्चात् ड्यूटी से राहत दी जाती है तो संबंधित संस्था प्रधान/PEEO स्टॉक में उपलब्ध सामग्री एवं अभिलेख का सत्यापन कर अन्य कार्मिक को प्रभार हस्तान्तरण के उपरान्त ही मुक्त कर सकेंगे।

7. **बोर्ड परीक्षा अथवा कोविड–19 संबंधी ड्यूटीः–**
बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित होने की स्थिति में किसी भी कार्मिक/शिक्षक की परीक्षा संबंधी कार्य या अन्य किसी राजकार्य हेतु अथवा कोविड–19 सम्बन्धी किसी भी प्रकार की ड्यूटी लगाई जाने पर तत्काल उपस्थित होना होगा। अनुपस्थित रहने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक एवं
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
दिनांकः 06.05.2020

क्रमांकः शिविरा/माध्य/साप्र/बी–2/विविध/4418/68/
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. समस्त जिला कलक्टर।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान ।
12. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/साप्र/बी–2/विविध/4418/68/ दिनांकः 06.05.2020

–:: आदेश ::–

इस कार्यालय के लॉक डाउन विषयक समसंख्यक आदेश दिनांकः 22.03.2020 द्वारा शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, विद्यालयों और संस्थानों को पूर्णतः बंद (लॉक डाउन) रखते हुए कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थित रहकर घर से कार्य करने (वर्क फ्रॉम होम) की स्थिति में रखा गया था। तदुपरांत लॉक डाउन अवधि में कुछ कार्मिकों के लॉक डाउन लागू होने से पूर्व से ही अवकाश, राजकीय यात्रा अथवा रविवारीय अवकाश के कारण एवं कुछ कार्मिकों द्वारा लॉक डाउन अवधि के दौरान विभिन्न परिस्थितिवश एवं कुछ अन्य कार्मिकों द्वारा मुख्यालय पर रहने के आदेशों की अवहेलना कर बिना अनुमति मुख्यालय से अन्यत्र प्रस्थान की स्थितियां संज्ञान में आई।

इस स्थिति में इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60304/2020 दिनांकः 12.04.2020 के द्वारा लॉक डाउन की परिस्थिति को देखते हुए कार्मिकों को लंबी यात्रा न करने हेतु निर्देशित करते हुए जिला प्रशासन से केवल मुख्यालय पर उपलब्ध शिक्षकों में से ही कोविड–19 संबंधी ड्यूटी लगाये जाने की अपेक्षा की गई थी एवं शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ड्यूटी लगाए जाने हेतु कार्मिकों की वास्तविक अवस्थिति की सूचना ली गई थी।

लॉक डाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर गए कार्मिकों के वेतन आहरण एवं कोविड–19 से संबंधित नवीन परिप्रेक्ष्य में ड्यूटी बाबत् विभिन्न स्तरों से वांछित मार्गदर्शन के संबंध में एतद् द्वारा निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. **स्वीकृत अथवा आवेदित अवकाश/पूर्वानुमति से मुख्यालय परित्यागः–**
   जिन कार्मिकों ने नियंत्रण अधिकारी की पूर्वानुमति से अवकाश अथवा मुख्यालय अवकाश लेकर लॉक डाउन लागू होने से पूर्व मुख्यालय परित्याग किया था एवं लॉक डाउन प्रभावी होने के कारण मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हो सके या लॉक डाउन अवधि के दौरान अवकाश हेतु आवेदन किया, उन्हें आवेदित अवकाश अवधि पूर्ण होने तक के लिए नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जावे एवं शेष लॉक डाउन अवधि का वेतन आहरित किया जावे।
2. **बिना पूर्वानुमति मुख्यालय परित्याग**ः–
   आदेश दिनांक 22.03.2020 के निर्देशों के विपरीत परिस्थितिवश बिना पूर्वानुमति मुख्यालय छोड़ने वाले कार्मिकों को सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा भविष्य में बिना पूर्वानुमति मुख्यालय न छोड़ने के लिए पाबन्द करते हुए लॉक डाउन अवधि का वेतन आहरित किया जावे, परन्तु नियन्त्रण अधिकारी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आदेश दिनांक 12.04.2020 के बाद बिना युक्तियुक्त कारण एवं पूर्वानुमति के मुख्यालय छोड़कर जाने वाले कार्मिकों के विरूद्ध सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निदेशालय को सूचना भिजवाई जावे।
3. **मुख्यालय पर उपस्थित रहकर कोविड–19 ड्यूटी में लगे हुए कार्मिकः–**
   लॉक डाउन के दौरान मुख्यालय पर उपस्थित रहकर जो कार्मिक लॉक डाउन अवधि में कोविड–19 से संबंधित ड्यूटी दे रहे हैं, संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उन्हें 16 मई, 2020 के पश्चात् ड्यूटी हेतु अन्य विकल्प उपलब्ध होने की स्थिति में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर ड्यूटी से राहत दिलावें।
4. **मुख्यालय से बाहर गये कार्मिकों की मुख्यालय वापसी एवं कोविड–19 ड्यूटीः–**
   बिन्दु संख्या 1 व 2 में वर्णित लॉक डाउन के दौरान मुख्यालय से बाहर रहे समस्त कार्मिक/शिक्षक 15 मई, 2020 तक मुख्यालय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। ग्रीष्मावकाश के दौरान मुख्यालय पर उपस्थिति की एवज में इन्हें उपार्जित अवकाश देय नहीं होंगे। संबंधित मुख्य

www.rajteachers.com

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुख्यालय पर उपस्थित समस्त कार्मिकों की सूची तैयार कर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को 16 मई, 2020 के पश्चात् ड्यूटी लगाये जाने हेतु तत्काल उपलब्ध करावें। कोविड–19 सम्बन्धी ड्यूटी लगाई जाने पर किसी भी कार्मिक/शिक्षक के अनुपस्थित रहने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे। 15 मई, 2020 तक मुख्यालय पर नहीं पहुंचने वाले कार्मिकों की सूची संभागीय संयुक्त निदेशक स्तर पर समेकित कर 20 मई, 2020 तक निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. **पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) की मुख्यालय पर उपस्थितिः–**

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्रांकः 4307 जयपुर, दिनांकः03.04.2020 के द्वारा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को संबंधित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप का अध्यक्ष नामित किया गया है, अतः समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) अपनी ग्राम पंचायत में उपस्थित रहकर आदेशों की पालना करेंगे।

6. **मिड–डे–मील प्रभारः–**

बिन्दु संख्या–3 के अनुसार यदि पोषाहार प्रभारी को 16 मई, 2020 के पश्चात् ड्यूटी से राहत दी जाती है तो संबंधित संस्था प्रधान/PEEO स्टॉक में उपलब्ध सामग्री एवं अभिलेख का सत्यापन कर अन्य कार्मिक को प्रभार हस्तान्तरण के उपरान्त ही मुक्त कर सकेंगे।

(**सौरभ स्वामी**)
आइ.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक एवं
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/साप्र/बी–2/विविध/4418/68/ दिनांकः 06.05.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. समस्त जिला कलक्टर।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान ।
12. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com